A 6/1

# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 6/अपील/2021 ( GCMS No. 2021/11 ) | 19.01.2021 | 28.05.2024 |

प्रेम प्रकाश आ. राधेश्याम जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम पितामपुरा हाल केशवपुरा, कोटा
तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)

– अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम आ. स्व.मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी पितामपुरा
2. राधाकिशन आ. स्व.मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी पितामपुरा
3. सीताबाई पुत्री स्व.मोतीलाल पत्नी सुरजमल जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम मंगाल, तहसील व जिला बून्दी
4. रूपकंवर पुत्री स्व.मोतीलाल पत्नी गोपाल जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम मंगाल, तहसील व जिला बून्दी
5. भूली बाई पुत्री स्व.मोतीलाल पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम सिलोर, तहसील व जिला बून्दी
6. देवीनन्दन पुत्र कांता बाई आ. महावीर जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम गरनारा, तहसील व जिला बून्दी
7. कमलेश पुत्र कांता बाई आ. महावीर जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम गरनारा, तहसील व जिला बून्दी
8. मधु बाई पुत्री कांता बाई पुत्री महावीर पत्नी रमेश जाति ब्राहमण
   निवासी प्लाट नं.73 बालाजी के मंदिर के पास, महावीर नगर, बून्दी
9. अनुसुया पुत्री कांता बाई पुत्री महावीर पत्नी विनोद शर्मा
   निवासी टीचर्स कॉलोनी, बून्दी
10. राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)
11. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)
12. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 5 की ओर से श्री मनीष गौत्तम, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 एवं 6 लगायत 9 की ओर से
श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 10,11,12 की ओर से पेरोकार सरकार।

## निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 03.10.2001 ग्राम पितामपुरा, तहसील बून्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासत का नामान्तकरण खातेदार मोतीलाल आ. गोपाल कौम ब्राहमण के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 6/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/11 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। मूल पत्रावली प्राप्त होने पर मिसल में बहस हेतु पेशी नियत की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 104, रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, 130 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, 136 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 139 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पितामपुरा, तहसील बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 में मोतीलाल वल्द गोपाल कौम ब्राहमण की खातेदारी चली आ रही है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा सं. 141 रकबा 17 बिस्वा में मोतीलाल, रतनलाल पि. गोपाल का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमियों के खातेदार मोतीलाल द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.02.1994 को अपने पोत्र अपीलांट प्रेमप्रकाश आ. राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी पीतामपुरा हाल निवासी केशवपुरा कोटा के हक में खसरा संख्या 130, 136, 139 की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा सं.141 रकबा 17 बिस्वा में निहित अपना 1/4 हिस्सा वसीयत कर निष्पादित किया गया, किन्तु दादाजी मोतीलाल द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को अपने पास ही रखा था जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अभी नवम्बर,2020 में पुराने कागजातों को

संभालते समय अपीलांट को उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा मिला, तब अपीलांट को उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रथम बार जानकारी हुई। इसके बाद उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेजों की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, नामान्तरण संख्या 138 दिनांक 03.10.2001 की नकल दिनांक 18.12.2020 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त भूमि का नामान्तरण स्व.मोतीलाल के वारिसान के हक में दर्ज कर दिये जाने की जानकारी हुई। विधि अनुसार जिस कृषि भूमि के संबध में खातेदार के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर दिया गया हो, उसके बाद खातेदार की मृत्यु होने पर वारिसान के पक्ष में यदि फोती नामान्तरकरण भी दर्ज हो गया हो तो वसीयत के प्रकट होने पर उक्त नामान्तरकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। ऐसे में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरण खोले जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा दिया जावें। इस प्रकार रजिस्टर्ड वसीयतनामा की जानकारी होने एवं नामान्तरण की नकल प्राप्त होने की तिथि से उक्त अपील अन्दर अवधि मध्य प्रस्तुत की गई। इसके बावजूद भी अगर अपील में देरी मानी जावे तो देरी कन्डोन करने हेतु अपीलांट के द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र पेश किया हुआ है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषकगण रेस्पो.सं. 1 लगायत 9 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार मोतीलाल जी की 1998 में ही मृत्यु हो चुकी है। यदि उनकी कोई वसीयत होती तो उनकी मृत्यु होते ही नामान्तकरण हेतु पेश की जाती। पक्षकारान आपस में पारिवारिक सदस्य है, जिससे खातेदार दादाजी मोतीलाल जी की मृत्यु होने एवं उनके वारिसान के पक्ष में अपीलाधीन फोती नामान्तरण दर्ज हो जाने की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 19 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से पेश की गई है। दिनांक 25.11.2020 को अपीलांट को कागजातों में कथित वसीयत का मिलना एक बनावटी तथ्य है क्योंकि मोतीलाल जी का कोई भी सामान अपीलांट के आधिपत्य में नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाने योग्य है। अभिभाषकगण रेस्पो.सं.1 लगायत 9 ने बहस में दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खातेदार मोतीलाल जी की पैतृक सम्पत्ति है जिसके संबंध में मोतीलाल जी द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई। इसीलिए ऐसी किसी वसीयत के संबंध में मोतीलाल जी द्वारा न तो अपीलांट को बताया और न ही अन्य वारिसान को जानकारी दी गई। इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति के संबंध में उक्त

जिला कलेक्टर; बून्दी

कथित वसीयतनामा दिनांक 22.02.1994 एक अवैध दस्तावेज है। वैसे भी जब उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का नामान्तरकरण उत्तराधिकारियों के नाम से खोला जा चुका है तो उक्त वसीयतनामा कतई निरस्त माना जाने योग्य है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयतनामें पर कोई निर्णय किया जाना संभव नहीं है। वसीयत की वैधता का निर्धारण करने के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है। वसीयत के आधार पर नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी पर अधिकारों की घोषणा करवाई जानी चाहिये। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2017 पेज 525 की नजीर पेश करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम पीतामपुरा के अपीलाधीन नामान्तरण में अंकित कृषि भूमि का खातेदार मोतीलाल वल्द गोपाल कौम ब्राहमण था। खातेदार मोतीलाल के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 03.10.2001 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार मोतीलाल द्वारा उसके पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान के पक्ष में फोती इन्तकाल खोल दिया गया, जो निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पो. का तर्क है कि अपीलांट द्वारा 19 साल के विलम्ब से अपील पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से पहले मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे तथा गुणावगुण पर भी वसीयत सक्षम न्यायालय से साबित नहीं होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किया गया विरासत का नामान्तरकरण विधिसम्मत मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 138 दिनांक 03.10.2001 को तस्दीक किया गया, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 12.01.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा नवम्बर, 2020 में पुराने कागजातों को संभालने के दौरान वसीयतनामा दिनांक 22.2.1994 के मिलने पर प्रथम बार वसीयत की जानकारी होना, तत्पश्चात राजस्व कागजात व नामान्तकरण की नकलों हेतु आवेदन किया जाना तथा दिनांक 18.12.2020 को नकलें प्राप्त होने पर अपील अवधि मध्य पेश किया जाना अंकित किया गया है, किन्तु अपीलांट द्वारा वसीयत की 26 वर्षो तक जानकारी नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया और न ही वसीयत की जानकारी प्रथम बार नवम्बर,2020 में मिलने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश किये गये। ऐसे में वसीयत की जानकारी होने के संबंध में अपीलांट का कथन मनगढन्त होने से विश्वसनीय नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलांट के पिता राधेश्याम सहित अन्य परिवारजनों का नाम उक्त आराजी पर दर्ज हुआ है। अपीलांट को उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत की जानकारी 26 वर्षो तक नहीं रही हो तथा दादा मोतीलाल के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड की 19 सालों तक अपीलांट को कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट के पिता सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांट ने दिनांक 25.11.2020 से पूर्व उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रहने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. ठसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed. प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते